निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 120/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

हरिशंकर पुत्र श्री नाथू शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विश्वामित्र मीणा, आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. श्री दिनेश कुमार पुत्र विष्णु कुमार
3. श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री मुकुन्द कुमार
4. श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकुन्द कुमार

   जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 145/2020 एवं 111/2020 व उनवानी हरिशंकर बनाम दिनेश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री गौरव शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री बनवारी शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 145/2020 एवं 111/2020 व उनवानी हरिशंकर बनाम दिनेश व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई आगामी पेशी दिनांक 19.01.2021 से पूर्व ही दिनांक 23.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने उक्त पत्रालियों में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पत्रावली में शमिल कर उक्त पत्रावली को आगामी पेशी दिनांक 19.01.2021 से तलब कर दिनांक 28.2.2020 नियत कर दी, किन्तु वादी को उक्त पेशी की जानकारी हेतु कोई सूचना अथवा नोटिस प्रदान नहीं किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सी पी सी प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने शामिल पत्रावली कर आगामी पेशी दिनांक 29.12.2020 नियत फरमा दी गई, किन्तु वादी को उक्त पेशी की जानकारी हेतु कोई सूचना अथवा नोटिस प्रदान नहीं किया गया, अपितु केवल मात्र प्रार्थी वादी के अधिवक्ता को दिनांक 29.12.2020 को प्रातः 11.30 बजे कोर्ट परिसर में आने के पश्चात नोटिस दिया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर प्रार्थी के अधिवक्ता की आपत्ति अंकित है। तत्पश्चात प्रार्थी के अधिवक्ता उक्त नोटिस लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उक्त आपत्ति की तो पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के अधिवक्ता पर नाराजगी जताते हुए आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 पर बहस करने का दबाव बनाया गया जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त दिनांक की जानकारी न्यायालय परिसर में प्रातः 11.30 बजे आने के पश्चात नोटिस प्राप्त होने एवं उनकी कार्यालय की पत्रावली जानकारी के अभाव में नहीं लाने की वजह से बहस करने में असमर्थता जाहिर की तो बडी मुश्किल से पीठासीन अधिकारी ने उक्त पत्रावली मे आगामी पेशी दिनांक 31.12.2020 इस मौखिक निर्देश के साथ प्रदान की कि आप उक्त पेशी तक अपने पक्षकार को सूचित कर बहस कर लेवें अन्यथा प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर उक्त अन्तरिम निषेधाज्ञा को निरस्त कर दूंगा। प्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थी को दूरभाष पर दी जिस पर प्रार्थी अपने पुत्र के साथ उक्त दिनांक 29.12.2020 को ही कोर्ट परिसर में आ कर अपने अधिवक्ता से मिला एवं उक्त पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को प्रदान की गई, जिनका अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थी को आश्चर्य हुआ कि पीठासीन अधिकारी ने उक्त पत्रावलियो में दिनांक 28.12.2020 एवं 29.12.2020 को क्या–क्या कार्यवाही हुई इस संबंध में कोई आदेशिका अंकित नहीं कर रखी और ना ही 31–12–2020 को न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में ही कोई आदेशिका पत्रावली पर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय की अपूर्ण आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उक्त दिनांक 29.12.2020 को ही जब प्रार्थी अपने पुत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे हुए थे। जिस पर प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो कर उक्त पत्रावलियों में दिनांक 28.12.2020 एवं 29.12.2020 की आदेशिका अंकित नही होने का कारण जानना चाहा तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि दिनांक 28.12.2020 एवं 29.12.2020 की आदेशिकायें तो मैं दिनांक 31.12.2020 को कोर्ट का समय पूरा होने के पश्चात शाम को ही लिखूंगा। इसलिए आप आगामी पेशी दिनांक 31.12.2020 को अपने अधिवक्ता को ला

जिला कलक्टर
जयपुर

कर बहस कर ले, अन्यथा मै उक्त दिनांक को निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त कर दूंगा। क्यों कि मुझे उक्त दिनांक तक उक्त पत्रावली का अन्तिम निस्तारण कर निरस्त करना है। पीठासीन अधिकारी से हुई अन्य वार्ता को प्रार्थी आवेदन में अंकित करने पर भी संकोच कर रहा है तथा पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से प्रार्थी को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 247/12 व 247/2 पर प्रार्थी ने बिना किसी अधिकार के उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और सुनवाई की लम्बी तारीख प्रात कर लिये जाने पर अप्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। प्रार्थी ने स्थगन आदेश को अनावश्यक लम्बित रखने की नियत से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 28.012.20320 व 29.12.2020 की आदेशिका भी पूर्ण नही की थी। जिससे प्रार्थी को सन्देह उत्पन्न होना जायज है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 145/2020 एवं 111/2020 व उनवानी हरिशंकर बनाम दिनेश व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में सुनवाई हेतु दिनांक 18.02.2021 को उपस्थित हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर यथा सम्भव प्रकरण का एक माह में निस्तारण सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) व उपखण्ड अधिकारी जवण्रामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर